Responsible Business Alliance
Advancing Sustainability Globally

संस्करण 8.0 (2024)

RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE आचार संहिता

Responsible Business Alliance (RBA) आचार संहिता यह सुनिश्चित करने के लिए मानक स्थापित करती है कि आपूर्ति श्रृंखलाओं में काम करने की स्थिति सुरक्षित है, और व्यवसाय जिम्मेदारी से, नैतिक रूप से और मानवाधिकारों और पर्यावरण के सम्मान के साथ संचालित किया जाता है।

संहिता को किसी भी व्यवसाय द्वारा स्वेच्छा से अपनाया जा सकता है और बाद में उस व्यवसाय द्वारा अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपूर्ति श्रृंखला और अनुबंध श्रम के प्रदाताओं सहित उपठेकेदारों पर लागू किया जा सकता है।

संहिता को अपनाने और एक भागीदार ("प्रतिभागी") बनने के लिए, एक व्यवसाय को संहिता के लिए अपने समर्थन की घोषणा करनी होगी और एक प्रभावी प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के माध्यम से संहिता और उसके मानकों के अनुरूप उचित परिश्रम करना होगा।

प्रतिभागियों को इस संहिता को समग्र आपूर्ति श्रृंखला पहल के रूप में देखना चाहिए। कम से कम, प्रतिभागियों को अपने अगले स्तर के आपूर्तिकर्ताओं से भी कोड को स्वीकार करने और लागू करने की आवश्यकता होगी।

संहिता को अपनाने के लिए मौलिक तौर पर यह समझना है कि एक व्यवसाय को अपनी सभी गतिविधियों में लागू कानूनों, नियमों और विनियमों[1] के पूर्ण अनुपालन में काम करना चाहिए। इस दस्तावेज़ के संदर्भों के तहत सूचीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सर्वोत्तम परिपाटियों का लाभ उठाते हुए, इस संहिता के तत्व सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी और व्यावसायिक नैतिकता को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी अनुपालन से परे जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में संहिता का अनुपालन लागू कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तथापि, यदि आरबीए कोड और लागू कानूनों के बीच अलग-अलग मानक हैं, तो आरबीए सख्त आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में अनुरूपता को परिभाषित करता है।

इस संहिता के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों से लिए गए हैं और उनका सम्मान करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए ओईसीडी दिशा-निर्देश
- व्यवसाय और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत
- कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों पर आईएलओ घोषणा
- आईएलओ मौलिक सम्मेलन
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की व्यापक घोषणा

संहिता पाँच अनुभागों से बनी है:

[1]इस संहिता का आशय कामगारों समेत, नए और अतिरिक्त तृतीय पक्ष के अधिकार बनाना नहीं है।

- अनुभाग A, Bऔर C: क्रमशः श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा और पर्यावरण के लिए मानक।
- अनुभाग D: व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित मानक।
- अनुभाग E: इस संहिता के अनुपालन को प्रबंधित करने के लिए एक स्वीकार्य प्रणाली के तत्व।

RBA इस आचार संहिता के निरंतर विकास और कार्यान्वयन के लिए हितधारकों से नियमित रूप से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है।

A. श्रम

प्रतिभागी श्रमिकों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ अस्थायी, प्रवासी, छात्र, अनुबंध, प्रत्यक्ष कर्मचारियों और किसी भी अन्य प्रकार के श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों पर लागू होता है।

श्रम मानक इस प्रकार हैं:

1) जबरन मजदूरी का निषेध

किसी भी रूप में जबरन मजदूरी, जिसमें बंधुआ (ऋण बंधन सहित) या गिरमिटिया श्रम, अनैच्छिक या शोषणकारी जेल श्रम, गुलामी या व्यक्तियों की तस्करी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, की अनुमति नहीं है। इसमें श्रम या सेवाओं के लिए धमकी, बल, ज़बरदस्ती, अपहरण या धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों को ले जाना, आश्रय, भर्ती, स्थानांतरण या प्राप्ति शामिल है। कंपनी द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं (श्रमिकों के शयनकक्ष या लिविंग क्वार्टर सहित सुविधाएं यदि उपलप्ध हों) में प्रवेश करने या बाहर निकलने के अतिरिक्त कारखाने में श्रमिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं होगा। नियुक्ति प्रक्रिया के भाग के रूप में, सभी श्रमिकों को उनकी मूल भाषा में, या उस भाषा में एक लिखित रोजगार अनुबंध प्रदान किया जाना चाहिए जिसे कर्मचारी समझ सके, जिसमें रोजगार के नियमों और शर्तों का विवरण शामिल हो। विदेशी प्रवासी श्रमिकों को अपने मूल देश से जाने से पहले रोजगार समझौता प्राप्त करना होगा और काम करने वाले देश में आने पर रोजगार समझौते में कोई प्रतिस्थापन या परिवर्तन (परिवर्तन) की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ये परिवर्तन स्थानीय कानून को पूरा करने के लिए नहीं किए जाते हैं और समान या बेहतर शर्तें नहीं प्रदान करते हैं। सारा काम स्वैच्छिक होना चाहिए, और अगर कर्मचारी के अनुबंध के अनुसार उचित नोटिस दिया जाता है तो श्रमिकों को किसी भी समय काम छोड़ने अथवा दंड के बिना अपने रोज़गार को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जो श्रमिकों के अनुबंधों में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा । प्रतिभागियों को सभी छोड़ने वाले श्रमिकों का दस्तावेज़ बनाए रखना होगा। नियोक्ता, एजेंट, और उप-एजेंट पहचान या आप्रवासन दस्तावेज़ों, जैसे सरकार द्वारा जारी पहचान, पासपोर्ट या कार्य परमिटों को धारण या अन्यथा नष्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें छुपा नहीं सकते हैं, या उनका आदान-प्रदान नहीं कर सकते हैं। उपर्युक्त के बावजूद, नियोक्ता केवल स्थानीय कानून का अनुपालन करने के लिए आवश्यक होने पर ही दस्तावेज़ रख सकते हैं। इस मामले में, किसी भी समय श्रमिकों को उनके दस्तावेज़ों तक पहुँच से वंचित नहीं किया जाएगा। कामगारों से अपने रोजगार के लिए नियोक्ताओं के एजेंटों या उप-एजेंटों को भर्ती शुल्क या अन्य संबंधित शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यदि पाया गया कि ऐसे किसी शुल्क का कामगारों द्वारा भुगतान किया गया है, तो ऐसे शुल्क कामगार को चुका दिए जाएंगे।

2) युवा कामगार

विनिर्माण के किसी भी चरण में बाल श्रम का उपयोग नहीं किया जाएगा। "बच्चा" शब्द 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति या अनिवार्य शिक्षा पूरी करने से कम आयु या देश में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु से कम, जो भी सबसे अधिक हो, का संदर्भ देता है। 18 वर्ष से कम आयु के कामगार (युवा कामगार) रात की पाली और

ओवरटाइम सहित ऐसे काम नहीं करेंगे, जो स्वास्थ्य या सुरक्षा को ख़तरे में डाल सकते हों। प्रतिभागी विद्यार्थियों के अभिलेखों के समुचित रखरखाव, शैक्षिक भागीदारों के कठोर समुचित उद्यम, और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार विद्यार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा के जरिए विद्यार्थी कामगारों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। प्रतिभागी कर्मचारियों की उम्र की जाँच करने के लिए एक उचित व्यवस्था लागू करेंगे। कार्यस्थल पर सीखने के ऐसे वैध कार्यक्रमों का उपयोग, जो सभी कानूनों और विनियमों का पालन करते हों, समर्थित है। प्रतिभागी सभी विद्यार्थी कामगारों को उचित सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। स्थानीय कानून की अनुपस्थिति में, विद्यार्थी कामगारों, इंटर्न्स और प्रशिक्षुओं के लिए मजदूरी की दर कम से कम वही होगी जो समान या उसी जैसा काम करने वाले प्रवेश-स्तर के अन्य कामगारों की होती है। यदि बाल श्रम की पहचान की जाती है, तो सहायता/उपचार प्रदान किया जाएगा।

3) काम के घंटे

काम के घंटे स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम से अधिक नहीं होंगे। इसके अलावा, आपातकालीन या असामान्य स्थितियों को छोड़कर, एक कार्यसप्ताह ओवरटाइम सहित प्रति सप्ताह 60 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी ओवरटाइम स्वैच्छिक होंगे। कामगारों को हर सात दिनों में कम से कम एक दिन की छुट्टी दी जाएगी।

4) मजदूरी और लाभ

कामगारों को प्रदत्त मुआवजा का भुगतान न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम के घंटों और कानूनन अधिदेशित हितलाभ से संबंधित सभी लागू मजदूरी कानूनों के अनुरूप होगा। सभी श्रमिकों को समान कार्य और योग्यता के लिए समान वेतन मिलेगा। श्रमिकों को ओवरटाइम का मुआवजा नियमित प्रति घंटा दरों से अधिक वेतन दरों पर दिया जाएगा। अनुशासनात्मक उपाय के रूप में मजदूरी से कटौती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक भुगतान अवधि के लिए, कामगारों को सामयिक रूप से और समझने योग्य मजदूरी विवरण प्रदान किया जाएगा जिसमें किए गए काम के सटीक मुआवजे की पुष्टि के लिए पर्याप्त जानकारी शामिल होगी। अस्थायी, प्रेषण और आउटसोर्स किए गए श्रम का सभी उपयोग स्थानीय कानून की सीमा के भीतर होगा।

5) गैर-भेदभाव/गैर-उत्पीड़न/मानवीय व्यवहार

प्रतिभागियों को उत्पीड़न और गैरकानूनी भेदभाव से मुक्त कार्यस्थल के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। हिंसा, लिंग आधारित हिंसा, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, शारीरिक दंड, मानसिक या शारीरिक जबरदस्ती, धमकाने, सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने या श्रमिकों के साथ मौखिक दुर्व्यवहार सहित कोई कठोर या अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा; न ही ऐसे किसी बर्ताव का खतरा है। कंपनियां भर्ती करने तथा रोजगार की परिपाटियों जैसे मजदूरी, पदोन्नति, पुरस्कार और प्रशिक्षण तक पहुँच में प्रजाति, रंग, आयु, लिंग, यौन झुकाव, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति, जातीयता या राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, गर्भावस्था, धर्म, राजनीतिक संबद्धता, यूनियन की सदस्यता, कवर की गई वयोवृद्ध स्थिति, संरक्षित आनुवांशिक जानकारी या वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव या उत्पीड़न नहीं करेंगी। इन अपेक्षाओं के समर्थन में अनुशासनिक नीतियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा कामगारों को सूचित किया जाएगा। श्रमिकों को धार्मिक प्रथाओं और विकलांगता के लिए उचित आवास प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, कामगारों या संभावित कामगारों को गर्भावस्था या कौमार्य परीक्षणों समेत ऐसे मेडिकल परीक्षण या शारीरिक परीक्षाओं के अधीन नहीं करना चाहिए,

जिसे भेदभावपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता हो। इसे आईएलओ भेदभाव (नियोजन और व्यवसाय) कन्वेंशन (No.111) के लिहाज से तैयार किया गया था।

6) एसोसिएशन और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता

कार्यस्थल और मुआवजे के मुद्दों को हल करने के लिए श्रमिकों और प्रबंधन के बीच खुला संचार और सीधा जुड़ाव सबसे प्रभावी तरीके हैं। कामगार और/या उनके प्रतिनिधि भेदभाव, प्रतिशोध, धमकी या उत्पीड़न के डर के बिना, काम की दशाओं और प्रबंधन प्रथाओं के संबंध में प्रबंधन के साथ विचारों और सरोकारों को खुलेआम संवाद और साझा करने में सक्षम होंगे। इन सिद्धांतों के अनुरूप, प्रतिभागियों को सभी श्रमिकों के अपनी पसंद की ट्रेड यूनियन बनाने और उनमें शामिल होने, सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने और शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने के अधिकार का सम्मान करना होगा और साथ ही ऐसी गतिविधियों से दूर रहने के श्रमिकों के अधिकार का सम्मान करना होगा। जहाँ संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार लागू कानूनों और विनियमों द्वारा प्रतिबंधित है, श्रमिकों को श्रमिक प्रतिनिधित्व के वैकल्पिक वैध रूपों को चुनने और शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

B. स्वास्थ्य और सुरक्षा

प्रतिभागियों का मानना है कि एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण काम से संबंधित चोटों और बीमारियों की घटनाओं को कम करने के अलावा, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, उत्पादन की निरंतरता और कार्यकर्ता प्रतिधारण और मनोबल को बढ़ाता है। प्रतिभागी यह भी स्वीकार करते हैं कि कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों की पहचान और समाधान करने के लिए चल रहे कामगार इनपुट और शिक्षा आवश्यक है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक इस प्रकार हैं:

1) पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा

श्रमिकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों (रासायनिक, विद्युत और अन्य ऊर्जा स्रोत, आग, वाहन, और गिरने के खतरे, आदि) के संपर्क में आने की संभावना की पहचान और मूल्यांकन किया जाएगा, और नियंत्रण के पदानुक्रम का उपयोग करके इसे कम किया जाएगा। जहाँ इन तरीकों से खतरों को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, वहां श्रमिकों को इन खतरों से जुड़े जोखिमों के बारे में उचित, अच्छी तरह से बनाए रखा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और शैक्षिक सामग्री प्रदान की जाएगी। लिंग-उत्तरदायी उपाय किए जाएंगे, जैसे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को ऐसे कामकाजी परिस्थितियों में न रखना, जो उनके या उनके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है और नर्सिंग माताओं के लिए उचित आवास प्रदान करना होगा।

2) आपातकालीन तैयारी

संभावित आपातकालीन स्थितियों और घटनाओं की पहचान और मूल्यांकन किया जाएगा, और आपातकालीन रिपोर्टिंग, कर्मचारी अधिसूचना और निकासी प्रक्रियाओं, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और अभ्यास सहित आपातकालीन योजनाओं और प्रतिक्रिया कार्यविधियों को लागू करके उनके प्रभाव को कम किया जाएगा।
आपातकालीन कवायद कम से कम वार्षिक रूप से या स्थानीय कानून की आवश्यकता के अनुसार, जो भी अधिक कठोर हो, निष्पादित की जाएगी। आपातकालीन योजनाओं में उचित आग का पता लगाने और दमन करने वाले उपकरण, स्पष्ट और अबाधित निकास, पर्याप्त निकास सुविधाएं, आपातकालीन उत्तरदाताओं के लिए संपर्क जानकारी और पुनर्प्राप्ति योजनाएं भी शामिल होंगी। ऐसी योजनाओं और प्रक्रियाओं में जीवन, पर्यावरण और संपत्ति को नुकसान कम करने पर ध्यान दिया जाएगा।

3) व्यावसायिक चोट और बीमारी

व्यावसायिक चोटों और बीमारियों को रोकने, प्रबंधित करने, ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए कार्यविधियाँ और प्रणालियाँ मौजूद होंगी, इसमें श्रमिक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने, चोट और बीमारी के मामलों को वर्गीकृत करने और रिकॉर्ड करने, आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने, मामलों की जांच करने और उनके कारणों को खत्म करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई लागू करने और श्रमिकों को काम पर लौटने की सुविधा प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं। प्रतिभागियों को श्रमिकों को आसन्न नुकसान से खुद को दूर रखने की अनुमति देनी होगी, और प्रतिशोध

के डर के बिना, जब तक स्थिति कम नहीं हो जाती, तब तक वापस नहीं लौटना होगा।

4) औद्योगिक स्वच्छता

रासायनिक, जैविक और भौतिक एजेंटों के संपर्क में आने वाले श्रमिकों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण के पदानुक्रम के अनुसार नियंत्रण किया जाएगा। जब खतरों को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो श्रमिकों को उचित, अच्छी तरह से बनाए रखा गया, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा और उनका उपयोग किया जाएगा। प्रतिभागी श्रमिकों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करेंगे, जिसे श्रमिकों के स्वास्थ्य और कार्य वातावरण की निरंतर, व्यवस्थित निगरानी के माध्यम से बनाए रखा जाएगा। यदि पेशागत जोखिमों से श्रमिकों के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है तो प्रतिभागियों को नियमित रूप से मूल्यांकन करने के लिए पेशागत स्वास्थ्य निगरानी प्रदान करनी होगी। सुरक्षात्मक व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू रहेंगे और इसमें कार्यस्थल के खतरों से जुड़े जोखिमों के बारे में शैक्षणिक सामग्री शामिल होगी।

5) शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण काम

मैनुअल रूप से सामग्री के रखरखाव और भारी या बार-बार उठाने वाले, लंबे समय तक खड़े रहने वाले और अत्यधिक दोहराव या बलपूर्वक संयोजन के कार्यों सहित, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्यों के खतरों के संपर्क में आने वाले श्रमिकों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण किया जाएगा।

6) मशीन की हिफाजत

उत्पादन और अन्य मशीनरी का सुरक्षा खतरों के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। जहाँ मशीनों से कामगारों को चोट का खतरा महसूस हो, वहाँ शारीरिक रक्षक, इंटरलॉक और बाधाएं प्रदान किया जाएगा और उनका उचित रखरखाव किया जाएगा।

7) स्वच्छता, भोजन, और आवास

कामगारों को स्वच्छ शौचालय की सुविधा, पेयजल और सेनेटरी फूड की तैयारी, भंडारण और खाने की सुविधा तक पहुँच प्रदान की जाएगी। प्रतिभागी या श्रमिक एजेंट द्वारा प्रदान किए गए श्रमिक शयनगृह को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखा जाएगा, और उचित आपातकालीन निकास, स्नान और स्नान के लिए गर्म पानी, पर्याप्त प्रकाश और पर्याप्त वातानुकूलित वेंटिलेशन, व्यक्तिगत और मूल्यवान वस्तुओं के भंडारण के लिए व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित आवास, और उचित प्रवेश और निकास विशेषाधिकारों के साथ उचित व्यक्तिगत स्थान प्रदान किया जाएगा।

8) स्वास्थ्य और सुरक्षा संसूचना

प्रतिभागी कामगारों को कामगार की भाषा में या किसी ऐसी भाषा में कार्यस्थल के स्वास्थ्य और सुरक्षा के उन सभी पहचाने गए खतरों की जिनके संपर्क में वे आते हैं, उचित जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, अग्नि और भौतिक खतरे शामिल हैं लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जानकारी को स्पष्ट रूप से कारखाना में पोस्ट किया जाएगा या श्रमिकों द्वारा पहचाने जाने योग्य और सुलभ स्थान पर रखा जाएगा। स्वास्थ्य जानकारी और प्रशिक्षण में यदि लागू हो तो लिंग और उम्र जैसे

प्रासंगिक जनसांख्यिकी के विशिष्ट जोखिमों पर सामग्री शामिल होगी। सभी श्रमिकों को काम शुरू होने से पहले और उसके बाद नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कामगारों को बिना प्रतिशोध के सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को सामने लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

C. पर्यावरण

सभी व्यावसायिक कार्यों में, प्रतिभागी मानते हैं कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी विश्व स्तरीय उत्पादों के उत्पादन के लिए अभिन्न अंग है। प्रतिभागियों को जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करते हुए पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करनी होगी और समुदाय, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करना होगा।

पर्यावरण मानक इस प्रकार हैं:

1) पर्यावरणीय परमिट और रिपोर्टिंग

सभी आवश्यक पर्यावरणीय परमिट (जैसे डिस्चार्ज मॉनिटरिंग), अनुमोदन और पंजीकरण प्राप्त किए जाएंगे, उनका रखरखाव किया जाएगा और अपडेटेड रखे जाएंगे और उनकी परिचालन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा।

2) प्रदूषण निवारण और संसाधन संरक्षण

प्रदूषकों और अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन और डिस्चार्ज को स्रोत पर या ऐसी प्रथाओं जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाकर; उत्पादन, रखरखाव और कारखाना प्रक्रियाओं को संशोधित करके; या अन्य तरीकों से कम या समाप्त किया जाएगा। पानी, जीवाश्म ईंधन, खनिज और उपयोग में नहीं लाए गए वन उत्पादों सहित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, उत्पादन, रखरखाव और कारखाना प्रक्रियाओं, सामग्री प्रतिस्थापन, पुन: उपयोग, संरक्षण, रीसाइक्लिंग, या अन्य साधनों को संशोधित करने जैसी प्रथाओं द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

3) खतरनाक पदार्थ

मनुष्यों या पर्यावरण के लिए ख़तरा पैदा करने वाले रसायनों, अपशिष्टों और अन्य सामग्रियों की पहचान की जाएगी, उन्हें लेबल किया जाएगा और उनका सुरक्षित प्रबंधन, संचलन, भंडारण, उपयोग, पुनर्चक्रण या पुन: उपयोग और निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। खतरनाक अपशिष्ट डेटा को ट्रैक और प्रलेखित किया जाएगा।

4) ठोस अपशिष्ट

ठोस अपशिष्ट (गैर-खतरनाक) की पहचान, प्रबन्धन करने, इसे कम करने और ज़िम्मेदारी से इसका निपटान करने या पुनर्चक्रित करने के लिए प्रतिभागी सुनियोजित पद्धति को कार्यान्वित करेंगे। अपशिष्ट डेटा को ट्रैक और प्रलेखित किया जाएगा।

5) वायु उत्सर्जन

वाष्पशील कार्बनिक रसायनों, एरोसोल, संक्षारक, कणों, ओजोन क्षयकारी पदार्थों और संचालन से उत्पन्न दहन उपोत्पादों के वायु उत्सर्जन को निर्वहन से पहले आवश्यकतानुसार चिह्नित, नियमित रूप से निगरानी, नियंत्रित और उपचारित किया जाएगा। ओजोन- क्षयकारी पदार्थों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और लागू नियमों के अनुसार प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाएगा। प्रतिभागी अपनी वायु उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के कार्य-निष्पादन की नियमित निगरानी करेंगे।

6) सामग्रियों के प्रतिबंध

प्रतिभागियों को पुनर्चक्रण और निपटान के लिए लेबलिंग सहित उत्पादों और विनिर्माण में विशिष्ट पदार्थों के निषेध या प्रतिबंध के संबंध में सभी लागू कानूनों, विनियमों और ग्राहक आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

7) जल प्रबंधन

प्रतिभागी एक ऐसा जल प्रबन्धन कार्यक्रम लागू करेगा, जो जल स्रोतों, इस्तेमाल एवं विसर्जन को प्रलेखित, चिह्नित, और उनकी निगरानी करेगा; जल संरक्षण के अवसर खोजेंगे; और प्रदूषण चैनलों को नियंत्रित करेंगे। सभी अपशिष्ट जल को निर्वहन या निपटान से पहले आवश्यकतानुसार चिह्नित, निगरानी, नियंत्रित और उपचारित किया जाएगा। अनुकूलतम कार्य-निष्पादन और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्रतिभागी अपने अपशिष्ट जल उपचार और नियंत्रण प्रणाली के कार्य-निष्पादन की नियमित निगरानी करेंगे।

8) ऊर्जा उपभोग एवं ग्रीनहॉउस गैस उत्सर्जन

प्रतिभागियों को एक संपूर्ण कॉर्पोरेट-व्यापी ग्रीनहाउस गैस कटौती लक्ष्य स्थापित करना होगा और उसके विरुद्ध रिपोर्ट करनी होगी। ऊर्जा की खपत और सभी स्कोप्स 1, 2, और स्कोप 3 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की महत्वपूर्ण श्रेणियों को ट्रैक किया जाएगा, प्रलेखन किया जाएगा और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया जाएगा। प्रतिभागियों को ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और अपनी ऊर्जा खपत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के तरीकों की तलाश करनी होगी।

D. आचारनीति/नैतिकता

सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने और बाज़ार में सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रतिभागियों और उनके एजेंटों को निम्नलिखित सहित नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना होगा:

1) व्यवसायिक सत्यनिष्ठा

सभी व्यावसायिक इंटरैक्शन (बातचीत) में सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बरकरार रखा जाएगा। किसी भी और सभी प्रकार की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ज़बरन वसूली और गबन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिभागियों में शून्य सहिष्णुता नीति होगी।

2) कोई अनुचित लाभ नहीं

रिश्वत या अनुचित या अनुचित लाभ प्राप्त करने के अन्य तरीकों का वादा, पेशकश, अधिकृत, दिया या स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस निषेध में, व्यापार प्राप्त करने या बनाए रखने, किसी व्यक्ति से सीधे व्यापार, या अन्यथा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान वस्तु का वादा, पेशकश, स्वीकृति, देना या स्वीकार करना शामिल है। भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी, रिकार्ड को बनाए रखना और प्रवर्तन प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी।

3) सूचनाओं का प्रकटन/खुलासा

सभी व्यावसायिक सौदे पारदर्शी रूप से निष्पादित किए जाएंगे और प्रतिभागी की व्यावसायिक पुस्तकों और रिकॉर्डों पर सटीक रूप से प्रतिबिंबित होंगे। प्रतिभागी के श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण प्रथाओं, व्यावसायिक गतिविधियों, संरचना, वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन के बारे में जानकारी लागू नियमों और प्रचलित उद्योग-जगत की परिपाटियों के अनुसार प्रकट की जाएगी। आपूर्ति श्रृंखला में अभिलेखों की जालसाज़ी या परिस्थितियों या प्रथाओं की गलत प्रस्तुति अस्वीकार्य है।

4) बौद्धिक संपदा

बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। प्रौद्योगिकी और जानकारी का हस्तांतरण इस तरीके से किया जाना चाहिए कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा हो, और ग्राहक और आपूर्तिकर्ता की जानकारी सुरक्षित रहे।

5) निष्पक्ष कारोबार, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा

निष्पक्ष व्यवसाय, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा के मानकों को बरकरार रखा जाएगा।

6) पहचान की सुरक्षा और गैर-प्रतिशोध

ऐसे कार्यक्रम जो आपूर्तिकर्ता और कर्मचारी सचेतकों[2] की गोपनीयता, गुमनामी और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बनाए रखा जाएगा, जब तक कि कानून द्वारा निषिद्ध न हो। प्रतिशोध के डर के बिना किसी भी चिंता/समस्या को उठाने में सक्षम होने के लिए प्रतिभागियों के पास अपने कर्मियों के लिए एक संप्रेषित प्रक्रिया होनी चाहिए।

7) खनिजों की ज़िम्मेदार सोर्सिंग

प्रतिभागियों को एक नीति अपनानी होगी और अपने द्वारा निर्मित उत्पादों में टैंटलम, टिन, टंगस्टन, सोना और कोबाल्ट के स्रोत और संरक्षण की शृंखला पर उचित परिश्रम करना होगा, ताकि उचित रूप से आश्वस्त किया जा सके कि वे संघर्ष-प्रभावित और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से खनिजों की जिम्मेदार आपूर्ति शृंखलाओं के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के मार्गदर्शन या समकक्ष और मान्यता प्राप्त उचित परिश्रम ढांचे के अनुरूप हैं।

8) निजता

प्रतिभागियों को आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों सहित उन सभी की व्यक्तिगत जानकारी की उचित निजता अपेक्षाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा जिनके साथ वे व्यापार करते हैं। जब व्यक्तिगत जानकारी एकत्र, संग्रहित, संसाधित, प्रसारित और साझा की जाती है तो प्रतिभागियों को निजता और सूचना सुरक्षा कानूनों और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

[2]मुखबिर/सचेतक की परिभाषा: कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी के किसी कर्मचारी या अधिकारी अथवा किसी सार्वजनिक अधिकारी या आधिकारिक निकाय द्वारा किए गए अनुचित आचरण के बारे में खुलासा करता है।

E. प्रबन्धन प्रणालियाँ

प्रतिभागियों को एक प्रबंधन प्रणाली को अपनाना या स्थापित करना होगा जो इस कोड की सामग्री से संबंधित है। प्रबंधन प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की जाएगीः (a) प्रतिभागी के प्रचालन और उत्पादों से संबंधित लागू कानूनों, विनियमों और ग्राहकों की अपेक्षाओं का अनुपालन; (b) इस संहिता के अनुरूप होना; और (c) इस संहिता से संबंधित प्रचालन जोखिमों की पहचान और और उन्हें कम करना। इससे निरंतर सुधार की सुविधा भी मिलेगी।

प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए:

1) कंपनी की प्रतिबद्धता

प्रतिभागियों को कार्यकारी प्रबंधन द्वारा समर्थित उचित परिश्रम और निरंतर सुधार के लिए प्रतिभागी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मानवाधिकार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण और नैतिकता नीति वक्तव्य स्थापित करना होगा। नीति वक्तव्यों को सार्वजनिक किया जाएगा और श्रमिकों को सुलभ चैनलों के माध्यम से उस भाषा में सूचित किया जाएगा जिसे वे समझते हैं।

2) प्रबंधन की जवाबदेही और उत्तरदायित्व

प्रतिभागियों को प्रबंधन प्रणालियों और संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ कार्यकारी और कंपनी प्रतिनिधियों की स्पष्ट रूप से पहचान करनी होगी। वरिष्ठ प्रबन्धन नियमित रूप से प्रबंधन प्रणालियों की स्थिति की समीक्षा करता है।

3) कानूनी और ग्राहक की अपेक्षाएं

प्रतिभागियों को इस संहिता की आवश्यकताओं सहित लागू कानूनों, विनियमों और ग्राहक आवश्यकताओं की पहचान करने, निगरानी करने और समझने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी या स्थापित करनी होगी।

4) जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन

प्रतिभागियों को कानूनी अनुपालन, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा[3] और श्रम अभ्यास और नैतिक जोखिमों की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी होगी या स्थापित करनी होगी, जिसमें प्रतिभागी के संचालन से जुड़े गंभीर मानव अधिकारों और पर्यावरणीय प्रभावों के जोखिम भी शामिल हैं। प्रतिभागियों को प्रत्येक जोखिम के लिए

[3] पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सुरक्षा के जोखिम मूल्यांकन में शामिल क्षेत्रों में उत्पादन के क्षेत्र, गोदाम और भंडारण सुविधाएं, संयंत्र/सुविधा सहायता उपकरण, प्रयोगशालाएं और परीक्षण क्षेत्र, स्वच्छता सुविधाएं (बाथरूम), रसोईघर / कैफेटेरिया और कार्यकर्ता आवास / शयनागार शामिल है।

सापेक्ष महत्व का निर्धारण करना होगा और पहचाने गए जोखिमों को नियंत्रित करने और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रियात्मक और भौतिक नियंत्रण लागू करना होगा।

5) सुधार के उद्देश्य

प्रतिभागियों को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रतिभागी के प्रदर्शन के आवधिक मूल्यांकन सहित, प्रतिभागी के सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार के लिए लिखित प्रदर्शन उद्देश्य, लक्ष्य और कार्यान्वयन योजनाएं स्थापित करनी होंगी।

6) प्रशिक्षण

प्रतिभागियों को प्रतिभागियों की नीतियों, प्रक्रियाओं और सुधार उद्देश्यों को लागू करने और लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण प्रबंधकों और श्रमिकों के लिए कार्यक्रम स्थापित करने होंगे।

7) संसूचना/संचार

प्रतिभागियों को श्रमिकों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को प्रतिभागियों की नीतियों, प्रथाओं, अपेक्षाओं और प्रदर्शन के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी संप्रेषित करने की प्रक्रिया स्थापित करनी होगी।

8) कार्यकर्ता/हितधारक की भागीदारी और समाधान तक पहुँच

प्रतिभागियों को जहाँ प्रासंगिक या आवश्यक हो, श्रमिकों, उनके प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ चल रहे दो-तरफा संचार के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करनी होंगी। इस प्रक्रिया का लक्ष्य इस संहिता में शामिल परिचालन परिपाटियों और शर्तों पर फीडबैक प्राप्त करना और निरंतर सुधार को बढ़ावा देना होगा। श्रमिकों को प्रतिशोध या प्रतिशोध के डर के बिना शिकायत और प्रतिक्रिया देने के लिए एक सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा।

9) ऑडिट/लेखापरीक्षा और मूल्यांकन

प्रतिभागियों को कानूनी और नियामक आवश्यकताओं, संहिता की सामग्री और सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी से संबंधित ग्राहक संविदात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर स्व-मूल्यांकन करना होगा।

10) सुधारात्मक कार्रवाई प्रक्रिया

प्रतिभागियों को आंतरिक या बाह्य मूल्यांकन, निरीक्षण, जांच और समीक्षाओं द्वारा पहचानी गई कमियों के समय पर सुधार के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करनी होगी।

11) प्रलेखन और अभिलेख

प्रतिभागियों को निजता की रक्षा के लिए उचित गोपनीयता के साथ-साथ नियामक अनुपालन और कंपनी की

आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज़ और रिकॉर्ड बनाना और बनाए रखना होगा।

12) आपूर्तिकर्ता की ज़िम्मेदारी

प्रतिभागियों को आपूर्तिकर्ताओं को कोड आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने और कोड के आपूर्तिकर्ता अनुपालन की निगरानी करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करनी होगी।

संदर्भ

इस संहिता को तैयार करने में निम्नलिखित संदर्भों का उपयोग किया गया था और ये अतिरिक्त जानकारी के उपयोगी स्रोत हो सकते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा निम्नलिखित संदर्भों का समर्थन किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है:

मानक और परंपराएँ:

- आईएलओ मौलिक सम्मेलन
    - संघ की स्वतंत्रता और आयोजन के अधिकार का संरक्षण कन्वेंशन, 1948 (नंबर 87)
    - संगठित करने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार सम्मेलन, 1949 (नंबर 98)
    - जबरन श्रम सम्मेलन, 1930 (नंबर 29)
    - जबरन श्रम का उन्मूलन कन्वेंशन, 1957 (नंबर 105)
    - न्यूनतम आयु कन्वेंशन, 1973 (संख्या 138)
    - बाल श्रम के सबसे बुरे रूप पर कन्वेंशन, 1999 (नंबर 182)
    - समान पारिश्रमिक कन्वेंशन, 1999 (नंबर 100)
    - भेदभाव (रोज़गार और व्यवसाय) कन्वेंशन, 1958 (नंबर 111)
    - व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन, 1981 (नंबर 155), और प्रमोशनल फ्रेमवर्क, 2006 (नंबर 187)
- संघर्ष प्रभावित और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से खनिजों की जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए ओईसीडी उचित परिश्रम मार्गदर्शन
- बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए ओईसीडी दिशानिर्देश
- व्यापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मार्गदर्शक सिद्धांत
- मानव अधिकारों का सार्विक घोषणापत्र
- भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
- संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट

अन्य उपयोगी संदर्भः

- डोड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
- इको प्रबंधन एवं लेखा परीक्षा प्रणाली
- नैतिक व्यापार पहल
- सुरक्षा और स्वास्थ्य में आईएलओ परिपाटी संहिता
- आईएसओ 14001 और संबंधित मानक - पर्यावरण प्रबंधन
- ISO 45001:2018 - पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
- नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन
- सामाजिक जवाबदेही इंटरनेशनल (SAI)
    - SA 8000
- संयुक्त राज्य संघीय अधिग्रहण विनियमन

दस्तावेज का इतिहास

संस्करण 1.0 - जारी अक्तूबर 2004

संस्करण 1.1 - जारी मई 2005 RBA प्रारूप में परिवर्तित प्रलेख, पृष्ठ के लेआउट में मामूली संशोधन; कोई सामग्री परिवर्तित नहीं की गयी।

संस्करण 2.0 - कई प्रावधानों में संशोधन के साथ अक्टूबर 2005 में जारी किया गया।

संस्करण 3.0 - कई प्रावधानों में संशोधन के साथ जून 2009 में जारी किया गया।

संस्करण 4.0 - कई प्रावधानों में संशोधन के साथ अप्रैल 2012 में जारी किया गया।

संस्करण 5.0 - कई प्रावधानों में संशोधन के साथ नवंबर 2014 में जारी किया गया।

संस्करण 5.1 - A1 में संशोधन के साथ मार्च 2015 में जारी किया गया जो 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा।

संस्करण 6.0 - कई प्रावधानों में संशोधन के साथ जनवरी 2018 में जारी किया गया।

संस्करण 7.0 - कई प्रावधानों में संशोधन के साथ जनवरी 2021 में जारी किया गया।

संस्करण 8.0 - कई प्रावधानों में संशोधन के साथ जनवरी 2024 में जारी किया गया।

शुरूआत में RBA की आचार संहिता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण में लगी कई कंपनियों द्वारा जून और अक्टूबर 2004 के बीच विकसित की गयी थी। कंपनियों को यह संहिता अपनाने के लिए आमंत्रित और प्रोत्साहित किया जाता है। आप यहाँ से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

https://www.responsiblebusiness.org